राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4329/2024

देशराज यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.12.2024
आदेश की दिनांक : 03.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह/धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 26.05.2000 द्वारा निरीक्षक ग्रेड–II के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को निरीक्षक ग्रेड–I के पद पर पदोन्नत किया गया तत्पश्चात सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.07.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2023 से निलम्बित माने जाने का आदेश पारित किया गया तथा अपीलार्थी का निलम्बन काल में मुख्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, प्रधान कार्यालय, जयपुर किया गया। उक्त आदेश संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया है जो कि अपीलार्थी जैसे कर्मचारी/अधिकारी के निलम्बन आदेश पारित करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है और कार्मिक विभाग द्वारा ही अपीलार्थी को निलम्बित किया जा सकता है। अन्य आदेश दिनांक 19.07.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.07.2023 से निलम्बित माने जाने का आदेश पारित किया गया और निलम्बन काल में

अपीलार्थी का मुख्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा जोन कोटा के कार्यालय में किया गया। कार्मिक (क–3/जांच) विभाग का परिपत्र दिनांक 12.04.2022 में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि कार्यविधि नियमों के अन्तर्गत राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन हेतु कार्मिक विभाग सक्षम है, विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को राज्य सेवा के अधिकारियों को निलम्बित करने की शक्तियां इस शर्त पर प्रदान की गई है कि वे निलम्बन करने के 15 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग से उक्त आदेश की पुष्टि कराने हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित करेंगे (अनुलग्नक–3)। कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग द्वारा राज्य सेवकों की अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण निस्तारण किये जाने हेतु परिपत्र दिनांक 13.04.2012 (अनुलग्नक–4) द्वारा अभियोजन समिति द्वारा निस्तारण करने हेतु निर्देश पारित किये गये है। उक्त निर्देशों में यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी अभियोजन स्वीकृति के पूर्ण प्रस्ताव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निर्णय प्राप्त होने से चार माह की अवधि के भीतर अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव पर प्रकरण का निस्तारण करेंगे जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 1193/2012 डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ. मनमोहन सिंह एवं अन्य में पारित निर्णय में निर्देशित किया गया है। उक्त परिपत्र में यह भी अंकित है कि सक्षम प्राधिकारी प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कोई स्पष्टीकरण चाहे तो सूचना प्रक्रिया भी निर्धारित चार माह की अवधि में पूर्ण करनी होगी। वर्तमान प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने, अपीलार्थी के गिरफ्तार होने एवं उसके उपरान्त चुनौती आदेश दिनांक 14.07.2023 द्वारा उसे निलम्बित किये जाने के लगभग 17 महीने से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत आज दिनांक तक अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है। अपीलार्थी के प्रकरण में आज दिनांक तक अनुसंधान भी पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में दिनांक 8 नवम्बर, 2024 को उप अधीक्षक, पुलिस स्पेशल यूनिट–।। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ने एक पत्र विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण मामलात, क्रम संख्या–1 जयपुर को भिजवाया इसमें यह अंकित किया गया है कि अनुसंधान शीघ्र पूरा किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के प्रकरण में आज दिनांक तक कोई अनुसंधान पूरा नहीं हुआ न ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है (अनुलग्नक–5)। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 19082/2023 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि लम्बे समय तक राज्य सेवक को निलम्बित रखना उचित नहीं है। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने निलम्बन आदेश को अपास्त किया है (अनुलग्नक–6)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 183/2023 दिनांक 13.07.2023 अर्न्तगत थाना जिला भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। उक्त एफआईआर बिना किसी उचित कारण के अपीलार्थी को झूठे मुकदमें में फंसाने के उद्देश्य से की गई है। एफआईआर की प्रति अनुलग्नक–7 पर उपलब्ध है। माननीय अधिकरण ने समान प्रकरण में अपील संख्या 3352/2024 अजय भार्गव बनाम राज्य में आदेश दिनांक 10.12.2024 (अनुलग्नक–8) द्वारा स्थगन आदेश जारी किया है जिसमें यह माना है कि अपीलार्थी का निलम्बन अनुचित रूप से किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.07.2023 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 19.07.2023 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां निलम्बन से पूर्व कार्यरत था।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.07.2023 द्वारा सहकारिता विभाग एवं दिनांक 19.07.2023 के द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा निलंबित किया गया था। निलम्बन अवधि को लगभग 1 वर्ष 07 माह हो चुके है। प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज एफआईआर प्रकरण में अभी न्यायालय में चालान पेश नहीं हुआ एवं अभियोजन स्वीकृति भी जारी नहीं हुई है। प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर इस स्टेज पर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 से गठित पुनरावलोकन कमेटी के समक्ष इस निर्णय से एक माह की अवधि में समस्त तथ्यों सहित विचारार्थ रखा जावे तथा कार्मिक विभाग द्वारा गठित पुनरावलोकन कमेटी अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करने के विषय में प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए इस निर्णय से दो माह की अवधि में युक्तियुक्त आदेश पारित करें एवं अपीलार्थी को सम्यक रूप से सूचित किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष